

मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क.प्राविवि/मुद्रा-यो./संविसं/2015/2836

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

तत्काल / महत्वपूर्ण / समय-सीमा

प्रति,

1. संभागायुक्त (समस्त), मध्य प्रदेश
2. कलेक्टर (समस्त), मध्य प्रदेश
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), जिला पंचायत, मध्य प्रदेश
4. आयुक्त (समस्त), नगर निगम, मध्य प्रदेश
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त), नगर पालिका/नगर पंचायत, मध्य प्रदेश
6. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
7. राज्य स्तरीय प्रमुख, समस्त निजी क्षेत्र के बैंक, मध्य प्रदेश
8. अध्यक्ष, समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश
9. प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
10. अग्रणी जिला प्रबंधक (समस्त), मध्य प्रदेश

विषय:- भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन धन योजना के द्वितीय चरण अंतर्गत प्रारम्भ की गई प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के क्रियान्वयन बाबत।

संदर्भ:- संचालनालय संस्थागत वित्त का पत्र क.प्राविवि/मुद्रा-यो./संविसं/2015/2778 दि. 15-09-2015 एवं क.प्राविवि/मुद्रा-यो./संविसं/2015/2795 दि. 21-09-2015।

=0=

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई प्रधान मंत्री मुद्रा योजना अंतर्गत शिशु योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर दिनांक 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2015 के दौरान मेगा कैम्प तथा प्रत्येक बैंक शाखा स्तर पर कैम्प के आयोजन किये जाना है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यतः, ऐसे प्रकरण जिनमें रु. 50,000/- तक के ऋण की आवश्यकता होती है, को शिशु योजना में कवर किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत प्रत्येक बैंक शाखा हेतु 25 प्रकरणों में ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना तथा वीवर्स क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लक्षित हितग्राहियों को भी मुद्रा कार्यक्रम अंतर्गत शिशु योजना में लाभांशित किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही प्रकरण तैयार कर बैंकों को उपलब्ध कराये जायें।

अतः, आपसे अपेक्षा है कि जिला स्तर पर अधिकाधिक प्रकरण तैयार कर बैंकों को उपलब्ध कराये जायें जिससे बैंकों द्वारा कैम्प के दौरान प्रकरणों को स्वीकृत कर वितरण का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

(अजय नाथ)


अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग

//2//

पृ. क.प्राविदि/मुद्रा-यो./संविसं/2015/2837
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

1. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नईदिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म0प्र0शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
9. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
10. आयुक्त, संचालनालय उद्योग, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
11. आयुक्त, संचालनालय हाथकरघा, मध्य प्रदेश, बोर्ड आफिस, भोपाल।
12. आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, शिवाजी नगर, भोपाल।
13. आयुक्त, संचालनालय पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, म0प्र0, सतपुड़ा, भोपाल।
14. प्रबंध संचालक, म0प्र0 राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल।
15. प्रबंध संचालक, म0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल।
16. प्रबंध संचालक, म0प्र0 आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, भोपाल।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, भोपाल।
18. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0 माटीकला बोर्ड, भोपाल।
19. क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
20. मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल।
21. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, मध्य प्रदेश, भोपाल।


अपर मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग